

## अध्याय - II

# राज्य के वित्त



## अध्याय-II

### राज्य के वित्त

#### 2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है।

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 22.91 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ गैर-कर प्राप्तियों में 3.46 प्रतिशत की कमी</li> <li>✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 50.31 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 10.21 प्रतिशत की कमी</li> </ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ राजस्व व्यय में 13.08 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 12.15 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.26 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 19.84 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ पूंजीगत व्यय में 36.77 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 54.76 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 49.92 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 31.80 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
ऋण और अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 39.90 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 17.27 प्रतिशत की कमी</li> </ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 12.79 प्रतिशत की कमी</li> <li>✓ लोक ऋण की अदायगी में 7.27 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 17.27 प्रतिशत की वृद्धि</li> <li>✓ लोक लेखा से संवितरण में 17.62 प्रतिशत की वृद्धि</li> </ul>
रोकड़ अवशेष और निवेश	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 31 मार्च 2021 की तुलना में 31 मार्च 2022 को नकद शेष और निवेश में ₹ 12,880 करोड़ (40.69 प्रतिशत) की वृद्धि।</li> </ul>

#### 2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2017-22 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समयबद्ध आँकड़ें **परिशिष्ट 2.1** में दिये गये हैं। **तालिका 2.1** वर्ष 2020-21 के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों एवं उप-घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना


विवरण		2020-21 (₹ करोड़ में)	2021-22 (₹ करोड़ में)	वृद्धि/कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	21,443	31,653	47.61
	राजस्व प्राप्तियाँ	2,96,176	3,71,011	25.27
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1,135	939	(-)17.27
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	60,082	47,025	(-)21.73
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)*	4,850	4,442	(-)8.41
	आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0	700	-
	<b>योग</b>	<b>3,83,686</b>	<b>4,55,770</b>	<b>18.79</b>
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	2,98,543	3,37,581	13.08
	पूँजीगत व्यय	52,237	71,443	36.77
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,153	1,613	39.90
	आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	600	-
	आकस्मिकता निधि से संवितरण	100	0	(-)100
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	31,653	44,533	40.69
	<b>योग</b>	<b>3,83,686</b>	<b>*4,55,770</b>	<b>18.79</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय अवशेष, 8672-स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673-रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरंभिक एवं अंतिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन-देन को छोड़कर।

2.2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान निधियों के घटक-वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को चार्ट 2.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2021-22 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग



स्रोत: वित्त लेखे 2021-22




### 2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

#### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण



स्रोत: वित्त लेख 2021-22

वर्ष 2021-22 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹4,52,843 करोड़ थी। इसमें ₹3,71,011 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹76,690 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियां, ₹700 करोड़ की आकस्मिकता निधि प्राप्ति और ₹4,442 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां<sup>10</sup> सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में ₹1,47,368 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹11,436 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹1,60,358 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹51,849 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत प्राप्तियों में ₹939 करोड़ की गैर-ऋण प्राप्तियां एवं ₹75,751 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित है।

### 2.4 राजस्व प्राप्तियां


यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है, जिन्हें राज्य की अपनी प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

<sup>10</sup> निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अंत में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचत एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

### 2.4.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि


वित्त लेखे का विवरण 14 सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान वित्त लेखे के अनुसार राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को चार्ट 2.3, चार्ट 2.4 और तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3 वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4 वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2.2 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व की प्रवृत्ति

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (आरआर) (₹ करोड़ में)	2,78,775	3,29,978	3,66,393	2,96,176	3,71,011
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.53	18.37	11.04	(-)19.16	25.27
स्वयं का राजस्व (₹ करोड़ में) जिसमें से	1,17,188	1,50,223	2,04,531	1,31,743	1,58,804
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	97,393	1,20,122	1,22,826	1,19,897	1,47,368
करेतर राजस्व (₹ करोड़ में)	19,795	30,101	81,705	11,846	11,436
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.98	28.19	36.15	(-)35.59	20.54
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.29	23.34	2.25	(-)2.38	22.91
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रेणी वर्तमान मूल्य पर)	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.73	9.88	7.46	(-)3.04	13.02
उछाल अनुपात <sup>11</sup>					
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व उछाल	0.73	1.86	1.48	*	1.94
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का राजस्व उछाल	0.17	2.85	4.85	*	1.58
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व का उछाल	1.13	2.36	0.30	*	1.76

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

\* चूंकि जीएसडीपी की वृद्धि ऋणात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी थी।

तालिका 2.2 में वर्णित वित्त लेखाओं के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि:

- वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 3,71,011 करोड़ थी। 2017-22 की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 7.41 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष (2020-21) की तुलना में वर्ष 2021-22 में इसमें 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2020-21 की तुलना में केन्द्रीय कर हस्तांतरण (50.31 प्रतिशत) और स्वयं के कर राजस्व (22.91 प्रतिशत) की उच्च प्राप्तियों के कारण हुई।
- राज्य सरकार ने बजट अनुमान वर्ष 2021-22 में ₹ 4,18,340 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया था जिसे वर्ष 2021-22 में घटाकर संशोधित अनुमान ₹ 3,78,731 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान वर्ष 2021-22 की तुलना में, स्वयं के कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों में 20.92 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 55.01 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 40.52 प्रतिशत की कमी आई थी। राज्य स्वयं के कर राजस्व में 8.10 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 26.33 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 41.06 प्रतिशत कमी के कारण संशोधित अनुमानों को भी प्राप्त नहीं कर सका। तथापि, वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण बजट अनुमानों (34.31 प्रतिशत से) और संशोधित अनुमानों (39.57 प्रतिशत) से अधिक था।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के स्वयं का कर में राजस्व उछाल 1.76 था जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद

<sup>11</sup> उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है। उदाहरण के लिये, जीएसडीपी के सम्बन्ध में राजस्व उछाल 1.85 का आशय यह है कि राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति है, यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है।

भी अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत था जिसके कारण वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी के साथ-साथ स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर ऋणात्मक थी।


#### 2.4.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू-राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियां यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियाँ एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई संपत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रॉयल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तंत्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2017-22 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

#### 2.4.2.1 स्वयं का कर राजस्व

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,47,368 करोड़ था। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान, यह 2017-18 के ₹ 97,393 करोड़ से 51.31 प्रतिशत (₹ 49,975 करोड़) बढ़कर 2021-22 में ₹ 1,47,368 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2017-22 के दौरान स्वयं का कर राजस्व



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2017–22 के दौरान कर राजस्व की प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र०सं०	राजस्व मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्कार्ललाईन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	31,113	23,798	20,517	22,127	27,058	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	25,374	46,108	47,232	42,860	54,594	
3	राज्य आबकारी	17,320	23,927	27,325	30,061	36,320	
4	वाहनों पर कर	6,404	6,929	7,715	6,483	7,776	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	13,398	15,733	16,070	16,475	20,048	
6	भू-राजस्व	1,336	631	504	297	193	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,124	2,978	3,453	1,587	1,366	
8	अन्य कर	324	18	10	7	13	
	योग	97,393	1,20,122	1,22,826	1,19,897	1,47,368	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.3 से यह स्पष्ट है कि:

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 22.91 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर (₹ 11,734 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 6,259 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,931 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 3,573 करोड़) एवं वाहनों पर कर (₹ 1,293 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई थी। तथापि, वर्ष 2020–21 की तुलना में विद्युत पर कर और शुल्क (₹ 221 करोड़) और भू-राजस्व (₹ 104 करोड़) में कम प्राप्तियां हुई थी।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, जिसमें वर्ष 2021–22 के लिए स्वयं का कर राजस्व प्राप्तियों का 37.05 प्रतिशत सम्मिलित है। वर्ष 2021–22 के दौरान, अनुमानित एसजीएसटी ₹ 73,285 करोड़ था, जिसके विरुद्ध वास्तविक संग्रह ₹ 54,594 करोड़ था जो अनुमान से 25.50 प्रतिशत कम था।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अंतर्गत संग्रहण में वृद्धि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (₹ 515.34 करोड़) और मूल्य वर्धित कर (₹ 4,328.76 करोड़) के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण हुई थी। राज्य आबकारी शुल्क में वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्पिरिट (₹ 3,633.94 करोड़) और विदेशी मदिरा (₹ 1,724.49 करोड़) और माल्ट मदिरा (₹ 827.97 करोड़) की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई थी। वाहनों पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियों में ₹ 1,689.47 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम में अधिक प्राप्तियों के कारण हुई है।
- अन्य करों में वस्तुओं और यात्रियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, मनोरंजन कर, सट्टेबाजी पर कर, सिनेमाघरों में प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर आदि सम्मिलित हैं। 2017–18 की तुलना में अन्य करों में कमी मुख्य रूप से करों को जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित करने से आई।

#### 2.4.2.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम क्रियान्वित किया, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के

अन्तर्गत केन्द्र सरकार, वस्तु एवं सेवाकर के क्रियान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिए करेगी। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत जीएसटी में सम्मिलित करों के राजस्व आँकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (2015-16) माना गया। राज्य में किसी वर्ष के लिये अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2021-22 के लिये जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आँकड़ों को प्राप्ति की प्रकृति यथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास यूटिलाइजेशन एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), आईजीएसटी का विभाजन-एसजीएसटी के कर घटक का अंतरण एवं आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन के अनुसार दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रकरण में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 73,222 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एसजीएसटी के रूप में ₹ 54,594 करोड़ संग्रहीत किया गया। इसमें आईजीएसटी के अग्रिम बंटवारे में राज्य के अंश के रूप में ₹ 2,708 करोड़ सम्मिलित हैं।

राज्य को, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत राज्य को आवंटित निवल आय के स्वयं के अंश के रूप में, ₹ 45,919 करोड़ भी प्राप्त हुए। इस प्रकार जीएसटी के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 1,00,513 करोड़ थी। राज्य सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹ 8,299 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त किया। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में भारत सरकार से ₹ 8,140 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण (ऋण प्राप्तियां) भी प्राप्त हुआ।

#### 2.4.2.3 करेतर राजस्व

वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाइन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1,093	1,712	1,469	1,116	1,250	
(ii) लाभांश एवं लाभ	31	175	39	105	213	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियां:						
(क) विभिन्न सामान्य सेवायें	4,841	13,678	72,044	572	295	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	3,259	3,165	2,181	3,113	2,655	
(ग) ऊर्जा	4,696	5,735	1,044	1,309	1,769	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	953	908	1,024	1,174	1,120	
(ड.) सड़क एवं पुल	366	932	707	997	640	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	432	381	480	505	452	
(छ) अन्य एवं विविध	4,124	3,415	2,717	2,955	3,042	
<b>योग</b>	<b>18,671</b>	<b>28,214</b>	<b>80,197</b>	<b>10,625</b>	<b>9,973</b>	
<b>महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]</b>	<b>19,795</b>	<b>30,101</b>	<b>81,705</b>	<b>11,846</b>	<b>11,436</b>	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की करेतर प्राप्तियां सर्वाधिक रहीं। तथापि, वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में उच्च करेतर प्राप्तियों मुख्य रूप से निक्षेप निधि से अवशेषों ₹ 4,422 करोड़ (2017-18), ₹ 12,693 करोड़ (2018-19) और ₹ 71,180 करोड़ (2019-20) को विविध सामान्य सेवा शीर्ष के अन्तर्गत बिना नगद प्राप्ति के लेखा हस्तांतरण के कारण थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल करेतर राजस्व प्राप्तियां ₹ 11,436 करोड़ थी, जो विगत वर्ष की तुलना में 3.46 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों की प्राप्तियों में ₹ 458 करोड़ (14.69 प्रतिशत) की मुख्य रूप से कमी, खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी (₹ 372.31 करोड़), सड़क और पुल ₹ 357 करोड़ (35.80 प्रतिशत) की कम प्राप्तियां, अन्य प्राप्तियों (₹ 360.97 करोड़) में कमी यथा सरकारी घाटों से प्राप्तियाँ, स्थापना व्यय आदि, विविध सामान्य सेवाएं ₹ 277 करोड़ (48.42 प्रतिशत), अन्य प्राप्तियों (₹ 106.58 करोड़) तथा दावा रहित प्राप्तियों (₹ 113.36 करोड़) विगत वर्ष (2020-21) की तुलना में कम प्राप्ति हुई थी।

### 2.4.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण

भारत सरकार से अन्तरण के दो मुख्य घटक केन्द्रीय कर हस्तांतरण, अर्थात् केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश तथा सहायता अनुदान हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार (कर अन्तरण और सहायता अनुदान) से हस्तांतरण राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 57.20 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 29.05 प्रतिशत (₹ 47,774 करोड़) अधिक था।

#### 2.4.3.1 केन्द्रीय कर अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) ने राज्यों के साथ साझा करने के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय के विभाज्य पूल के 42 प्रतिशत कर हस्तांतरण की अनुशंसा की थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य को 17.959 प्रतिशत अंश दिया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग (2021-26) ने केन्द्रीय करों (विभाज्य पूल) की शुद्ध आय का 41 प्रतिशत का कुल अंश राज्यों को 2020-21 से 2025-26 में हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी, जिसमें से 17.939 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश के लिए अनुशंसित थी। 2017-22 के पांच वर्ष की अवधि के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 2.5 में दी गई है।

तालिका 2.5: वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	1,718	33,757	33,434	31,611	45,919
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	12,212	2,694	0	0	0
निगम कर	37,043	47,563	40,171	32,258	45,807
निगम कर से भिन्न आय पर कर	31,280	35,028	31,477	33,080	47,482
सीमा शुल्क	12,208	9,695	7,468	5,606	11,922
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	12,761	6,442	5,192	3,577	6,693
सेवा कर	13,719	1,252	0	475	2,360
अन्य कर <sup>12</sup>	(-) <sup>2*</sup>	335	76	80	175

<sup>12</sup> इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क सम्मिलित है।



केन्द्रीय कर अन्तरण	1,20,939	1,36,766	1,17,818	1,06,687	1,60,358
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	10.52	13.09	(-)13.85	(-)9.45	50.31
कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर के अन्तरण की प्रतिशतता	43.38	41.45	32.16	36.02	43.22

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\*वर्ष 2017-18 के दौरान 'अन्य कर' शीर्ष के अन्तर्गत ऋणालम्बक आँकड़ा रिफंड के कारण था।

तालिका 2.5 दर्शाती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 2020-21 की तुलना में ₹ 53,671 करोड़ (50.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य का अंश राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 43.22 प्रतिशत था।

#### 2.4.3.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.6 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.6: वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	27,731	31,250	25,824	32,342	31,227
वित्त आयोग अनुदान	8,849	9,318	12,965	16,023	12,306
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य अन्तरण/अनुदान	4,068	2,421	5,255	9,381	8,316
<b>योग</b>	<b>40,648</b>	<b>42,989</b>	<b>44,044</b>	<b>57,746</b>	<b>51,849</b>
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	24.93	5.76	2.45	31.11	(-)10.21
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	14.58	13.03	12.02	19.50	13.98

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.6 से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2017-21 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 2017-18 में ₹ 40,648 करोड़ से 27.56 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 51,849 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2021-22 में, पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 10.21 प्रतिशत (₹ 5,897 करोड़) की कमी आयी थी। राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 31,227 करोड़ प्राप्त हुए जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 3.45 प्रतिशत कम थी, जो मुख्यतः ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और समाज कल्याण विकास (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) आदि के लिए कम प्राप्ति के कारण थी। तथापि, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत परिवार कल्याण विभाग एवं नगर विकास विभाग के सहायता अनुदानों की प्राप्ति में वृद्धि हुई थी। पंचायती राज (₹ 2,544 करोड़), नगरीय विकास (₹ 2,577 करोड़), राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (₹ 387 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण 2020-21 की तुलना में वित्त आयोग अनुदान में ₹ 3,717 करोड़ (23.20 प्रतिशत) में भी कमी आई थी जबकि, वित्त अनुदान आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग (₹ 1,791 करोड़) के लिए प्राप्त अनुदान में वृद्धि हुई थी। अग्रेतर, विगत वर्ष



2020–21 की तुलना में विधायिका वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरणों/अनुदानों में ₹ 1,065 करोड़ (11.35 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 1,024.56 करोड़ की कम प्राप्तियों के कारण हुई थी।

### 2.4.3.3 चौदहवाँ/पन्द्रहवाँ वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार के स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (चौदहवें वित्त आयोग)/राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (पन्द्रहवें वित्त आयोग) के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2017–22 के दौरान अनुशंसित धनराशि तथा प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त वित्त आयोग अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुशंसार्थे			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	चौदहवाँ/ पन्द्रहवाँ वित्त आयोग	पन्द्रहवाँ वित्त आयोग	योग	2017-18 से 2020-21	2021-22	योग	2017-18 से 2020-21	2021-22	योग
	2017-18 से 2020-21	2021-22							
स्थानीय निकाय (बुनियादी एवं निष्पादन अनुदान)									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	35,615.95	7,208.00	42,823.95	32,739.86	7,208.00	39,947.86	33,136.71	7,208.00	40,344.71
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	12,196.68	3,550.00	15,746.68	10,723.19	1,761.25	12,484.44	9,054.36	1,761.25	10,815.61
स्थानीय निकायों के लिये योग	47,812.63	10,758.00	58,570.63	43,463.05	8,969.25	52,432.30	42,191.07	8,969.25	51,160.32
एसडीआरएफ/ एसडीआरएमएफ*	4,923.00	2578.00*	7,501.00 <sup>13</sup>	3,691.75	1,546.40	5,238.15	2,725.25	2,512.90	5,238.15
कुल योग	52,735.63	13,336.00	66,071.63	47,154.80	10,515.65	57,670.45	44,916.32	11,482.15	56,398.47

स्रोत: XIVवें/ XVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ)/राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 58,570.63 करोड़ के अनुदान की तुलना में, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 52,432.30 करोड़ प्राप्त हुए। इसमें से राज्य सरकार ने वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹ 51,160.32 करोड़ अवमुक्त किए। इस प्रकार, राज्य सरकार ने ₹ 1,271.98 करोड़ कम अवमुक्त किये जो कि वर्ष 2017–18 से सम्बन्धित है। वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया।

2017–20 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार एसडीआरएफ के लिये केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 1,758.75 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे राज्य सरकार द्वारा निधि में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त,

<sup>13</sup> कुल अनुदान के 25 प्रतिशत राज्य अंश को लेकर।

राज्य सरकार ने भी 2017-20 की अवधि के दौरान निधि में ₹ 572.58 करोड़ का स्वयं का अंश जमा किया।

अग्रेतर, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 2020-21 (₹ 2,578 करोड़) और 2021-22 (₹ 2,578 करोड़) की अवधि के दौरान राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के लिये उत्तर प्रदेश को ₹ 5,156 करोड़ आवंटित किये। एसडीआरएमएफ के लिये ₹ 2,578 करोड़ में से (भारत सरकार का अंश: ₹ 1,933 करोड़ और राज्य का अंश: ₹ 645 करोड़), ₹ 2,062.40 करोड़ (80 प्रतिशत) एसडीआरएमएफ के लिये था (भारत सरकार का अंश: ₹ 1,546.40 करोड़ और राज्य सरकार का अंश: ₹ 516 करोड़) और ₹ 515.60 करोड़ (20 प्रतिशत) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (भारत सरकार का अंश: ₹ 386.60 करोड़ और राज्य सरकार का अंश ₹ 129 करोड़) के लिये था। वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने एसडीआरएमएफ के लिये ₹ 1,933 करोड़ का स्वयं का अंश जारी किया जबकि वर्ष 2021-22 के लिये भारत सरकार ने ₹ 1,546.40 करोड़ जारी किये। वर्ष 2021-22 के दौरान (₹ 386.60) करोड़ कम अवमुक्ति राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के लिये भारत सरकार का अंश अवमुक्त नहीं करने के कारण था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 से सम्बन्धित ₹ 386.60 करोड़ एसडीएमएफ को हस्तांतरित करने के बजाय 2020-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी सम्पूर्ण धनराशि ₹ 3,479.40 करोड़ को एसडीआरएमएफ को हस्तांतरित कर दिया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी 2020-22 की अवधि के दौरान स्वयं के अंश के ₹ 1,160.33 करोड़ एसडीआरएमएफ को हस्तांतरित कर दिये।

## 2.5 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन में प्रवृत्तियां तालिका 2.8 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.8: वर्ष 2017-22 की अवधि में पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत प्राप्तियाँ	47,653	56,908	79,450	87,994	76,690
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियाँ)	236	5,313	5,641	1,135	939
(iii) लोक ऋण प्राप्तियाँ, जिसमें से	47,417	51,595	73,809	86,859	75,751
आंतरिक ऋण	46,314	50,791	72,554	78,677	65,003
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)30.52	9.67	42.85	8.44	(-)17.38
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,103	804	1,255	8,182	10,748
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.98	(-)27.11	56.09	551.95*	31.36*
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)29.94	8.81	43.05	17.68	(-)12.79
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)8.88	2,151.27	6.17	(-)79.88	(-)17.27
जीएसडीपी की वृद्धि दर	11.73	9.88	7.46	(-)3.04	13.02
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)29.86	19.42	39.61	10.75	(-)12.85

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

\* भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों की वृद्धि में राज्य के पुनर्भुगतान के दायित्व से रहित जीएसटी न्यूनता क्षतिपूर्ति के बदले बैंक-टू-बैंक ऋण वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए क्रमशः ₹ 6,007 करोड़ और ₹ 8,140 करोड़ सम्मिलित है।

जैसा कि तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 में राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 11,304 करोड़ की कमी हुई, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 12.85 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण के अन्तर्गत 17.38 प्रतिशत कम प्राप्ति के कारण थी। वर्ष 2017-21 की अवधि के दौरान आंतरिक ऋण प्राप्तियों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति थी और वर्ष 2021-22 में अधोमुखी प्रवृत्ति थी। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में भी उतार-चढ़ाव हुआ, वर्ष 2021-22 के दौरान यह उच्चतम ₹ 10,748 करोड़ था जो कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की न्यूनता के बदले ₹ 8,140 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण के कारण था जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से पुनर्भुगतान किया जाना है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में विगत वर्ष (₹ 1,135 करोड़) की तुलना में 17.27 प्रतिशत (₹ 939 करोड़) की कमी आई। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण के पीएसयू को सहायता अनुदान में रूपांतरण के कारण हुई थी।

## 2.6 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बगैर स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) 2021 और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से क्रमशः 20.92 प्रतिशत कम और 18.73 प्रतिशत अधिक थी, जैसा कि तालिका 2.9 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.9: वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पन्द्रहवें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान / एमटीएफआरपी	वास्तविक	इनके सापेक्ष वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान / एमटीएफआरपी
स्वयं के कर राजस्व	1,24,116	1,86,345	1,47,368	18.73	(-)20.92
करेतर राजस्व	32,470	25,422	11,436	(-)64.78	(-)55.01

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वर्ष 2022-23 के लिये राज्य सरकार का बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखे 2021-22


वर्ष 2021-22 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमान / एमटीएफआरपी 2021 में किए गए अनुमान की तुलना में काफी कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2021 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी (₹ 18,691 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 5,452 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 5,180 करोड़), और बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,042 करोड़) के कम संग्रह के कारण था। तथापि, स्वयं के कर राजस्व जुटाने में राज्य का प्रदर्शन पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमानों से बेहतर था।

## 2.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हों। यह प्रस्तर उप-प्रस्तरों सहित राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण' और 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। राज्य के समेकित निधि के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.6 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

### 2.7.1 व्यय की वृद्धि और संघटन

वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि और इसकी संरचना के अन्तर्गत कुल व्यय को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है और चार्ट 2.7 में भी दर्शाया गया है।


तालिका 2.10: वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (टीई)	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933	4,11,237
राजस्व व्यय (आरई)	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543	3,37,581
पूंजीगत व्यय (सीई)	39,088	62,463	59,998	52,237	71,443
ऋण और अग्रिम	1,509	6,303	2,120	1,153	1,613
आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	0	0	600
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	21.31	23.42	21.23	21.35	22.07
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	18.49	19.07	17.58	18.11	18.12
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	2.71	3.95	3.53	3.17	3.83
ऋण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.10	0.40	0.12	0.07	0.09

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.7: वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ




स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2017–18 में ₹ 3,06,821 करोड़ से 34.03 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹ 4,11,237 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय (₹ 71,357 करोड़), पूंजीगत व्यय (₹ 32,355 करोड़) और ऋण और अग्रिमों के संवितरण (₹ 104 करोड़) और आकस्मिकता निधि में विनियोग (₹ 600 करोड़) के कारण हुआ था। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 83.43 प्रतिशत था और पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 15.83 प्रतिशत था। इस प्रकार, कुल व्यय में राजस्व व्यय प्रमुख अंश था।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत घटकवार व्यय चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2021–22 के दौरान घटकवार व्यय



स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे

**चार्ट 2.8** दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय कुल व्यय का उच्चतम 30.35 प्रतिशत था जिसमें राज्य के अंगों, राजकोषीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 27.50 प्रतिशत था जिसमें शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पोषण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, नगरीय विकास आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.13 प्रतिशत था जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है।

### 2.7.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूंजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, सब्सिडी और स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (टीई)	3,06,821	3,70,494	3,60,951	3,51,933	4,11,237
राजस्व व्यय (आरई)	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543	3,37,581
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.52	13.34	(-)0.96	(-)0.10	13.08
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	86.77	81.44	82.79	84.83	82.09
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
जीएसडीपी में वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.73	9.88	7.46	(-)3.04	13.02
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	18.49	19.07	17.58	18.11	18.12
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	95.50	91.44	81.56	100.80	90.99
निम्न के सापेक्ष राजस्व व्यय का उछाल					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.07	1.35	(-)0.13	*	1.01
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	1.47	0.73	(-)0.09	*	0.52

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


\* चूंकि जीएसडीपी एवं राजस्व प्राप्ति की वृद्धि ऋणात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी।

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश वर्ष 2017-18 में 86.77 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 82.09 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2018-19 में 13.34 प्रतिशत से वर्ष 2019-20 में (-)0.96 प्रतिशत के बीच व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव बना रहा। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2017-22 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखी। यह वर्ष 2018-19 में उच्चतम (19.07 प्रतिशत) और वर्ष 2019-20 में निम्नतम (17.58 प्रतिशत) था। जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय उछाल, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के सापेक्ष राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.11 से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में उछाल 1.01 था जो राज्य की

अर्थव्यवस्था में वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय के मामूली उच्च वृद्धि दर को दर्शाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (₹ 2,255.73 करोड़), पुलिस (₹ 3,752.18 करोड़), लोक निर्माण (₹ 560.01 करोड़), और ब्याज भुगतान (₹ 5,447.08 करोड़) पर हुई। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा (₹ 4,509.10 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ऊर्जा (₹ 11,683.80 करोड़) जो मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शहरी विकास (₹ 1,679.08 करोड़) और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत सड़क और सेतुओं (₹ 4,483.65 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 1,698.33 करोड़) के कम व्यय से प्रतिसंतुलित थी। वर्ष 2021–22 के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं का घटकवार राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.9: वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण




स्रोत: वर्ष 2021–22 के वित्त लेखे

### 2.7.3 प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है जिस पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है। प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।



चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

#### 2.7.4 प्रतिबद्ध व्यय

वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध व्यय तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12 : वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय पर घटकवार व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	85,076	91,413	1,00,188	97,576	1,08,775
(i) वेतन	43,490	50,471	53,508	50,333	54,727
(ii) मजदूरी	921	1,062	1,357	2,363	2,500
(iii) सहायता अनुदान (वेतन)	40,665	39,880	45,323	44,880	51,548
पेंशन	38,476	44,024	49,603	48,219	50,475
ब्याज भुगतान	29,136	32,042	34,813	37,428	42,876
योग	1,52,688	1,67,479	1,84,604	1,83,223	2,02,126
राजस्व प्राप्ति (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	30.52	27.70	27.34	32.95	29.32
पेंशन	13.80	13.34	13.54	16.28	13.60
ब्याज भुगतान	10.45	9.71	9.50	12.64	11.56
योग	54.77	50.75	50.38	61.87	54.48
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	31.96	30.30	33.53	32.68	32.22
पेंशन	14.45	14.59	16.60	16.15	14.95
ब्याज भुगतान	10.94	10.62	11.65	12.54	12.70
योग	57.35	55.51	61.78	61.37	59.87

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे



प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। **तालिका 2.12** प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, सिवाय वर्ष 2020–21 के जिसमें वर्ष 2019–20 की तुलना में 0.75 प्रतिशत (₹ 1,381 करोड़) की कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक-वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

#### 2.7.4.1 वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2021 को 12,65,590 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 54,727 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,71,011 करोड़) का 14.75 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 3,37,581 करोड़) का 16.21 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)<sup>14</sup> और 'मजदूरी' के व्यय को शामिल करते हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 1,08,775 करोड़ था जो राजस्व प्राप्तियों का 29.32 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 32.22 प्रतिशत था।

विगत वर्ष 2020–21 की तुलना में वेतन एवं मजदूरी पर कुल व्यय में 11.48 प्रतिशत (₹ 11,199 करोड़) की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता (3,693 करोड़) और सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन) के अधिक संवितरण (₹ 6,703 करोड़) के कारण थी।

#### 2.7.4.2 ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आंतरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान का लेखा-जोखा मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 10.14 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 29,136 करोड़ से बढ़कर ₹ 42,876 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 की तुलना में, वर्ष 2021–22 में 14.56 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 5,087 करोड़), अन्य आंतरिक ऋण (₹ 504.50 करोड़) व राज्य भविष्य निधि (₹ 446.65 करोड़) पर ब्याज भुगतान में वृद्धि के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत, लेखाशीर्ष '2071-01-117-09-विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान' के अंतर्गत ₹ 8.34 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। इसके अलावा, लेखाशीर्ष '2071-01-117-08 दिनांक 31.03.2019 तक देय अवशेष नियोक्ता योगदान/देर से जमा नियोक्ता योगदान पर ब्याज' के अंतर्गत ₹ 22.99 करोड़ का व्यय किया गया था। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049-03-117 शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 2071 के अन्तर्गत डीसीपीएस पर बजट और ब्याज का भुगतान एलएमएमएच का उल्लंघन था, इसके अलावा इससे मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज व्यय को कम बताया गया।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिये गये गैर-बजट ऋणों के भुगतान पर ब्याज भुगतान के लिए राज्य के

<sup>14</sup> प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 92.43 करोड़ की वित्तीय सहायता (सहायता अनुदान) प्रदान की थी, जैसा कि प्रस्तर 4.2 में चर्चा की गई है।

### 2.7.4.3 पेंशन भुगतान

राज्य में दिनांक 31 मार्च 2022 को 11.37 लाख पेंशनभोगी थे। 2017-22 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 38,476 करोड़ से ₹ 50,475 करोड़ के मध्य विस्तारित था। वर्ष 2021-22 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 50,475 करोड़ था, जो कि विगत वर्ष (₹ 48,219 करोड़) के सापेक्ष 4.68 प्रतिशत उच्च था। यह वृद्धि मुख्य रूप से शीर्ष ग्रेच्यूटी (₹ 391.53 करोड़), पारिवारिक पेंशन (₹ 752.60 करोड़), 'राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन' (₹ 1,155.86 करोड़), अवकाश नकदीकरण लाभ (₹ 325.21 करोड़), परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिये शासकीय अंशदान (₹ 144.02 करोड़), व अन्य पेंशन व्यय (₹ 593.81 करोड़) में था। तथापि, अधिवार्षिकी व सेवानिवृत्ति भत्ते में (₹ 1,135.90 करोड़) विगत वर्ष 2020-21 की तुलना में कम भुगतान हुआ था। वर्ष 2021-22 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.60 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 14.95 प्रतिशत और वेतन व्यय का 46.40 प्रतिशत था।

### 2.7.5 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। 2017-22 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2017-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	9,284	14,053	14,092	11,677	20,145
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.33	4.26	3.85	3.94	5.43
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.49	4.66	4.72	3.91	5.97

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2017-18 में ₹ 9,284 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 20,145 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 20,145 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 5.43 प्रतिशत और 5.97 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 2,521.08 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी में कुल वृद्धि (₹ 8,468 करोड़) मुख्य रूप से 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान (₹ 7,148.31 करोड़ से)', राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (₹ 492.87 करोड़ से)', 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (₹ 435.60 करोड़ से)', 'उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को कृषि उत्पादन में सुधार हेतु किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिये अनुदान (₹ 300 करोड़ से)' एवं 'अतिरिक्त उर्जा स्रोत गैर पारम्परिक निजी विकास एजेंसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन (₹ 201.04 करोड़ से)' के कारण था, जिसको 'औद्योगिक निवेश व अधिष्ठान कार्यान्वयन नीति-2012 के अंतर्गत (₹ 86.35 करोड़ से) प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समिति के माध्यम से कम ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रदान करने के

लिये अनुदान (₹ 33.97 करोड़ से) के अन्तर्गत घटी हुई सब्सिडी से प्रतिसंतुलित किया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी के मुख्य अंश वाले विभाग तालिका 2.14 में दिये गये हैं।

तालिका 2.14: 2021-22 के दौरान सब्सिडी का मुख्य अंश वाले विभाग

अनुदान संख्या	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी की धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
09	ऊर्जा	13,388.16	66.46	यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रतिपूरक अनुदान (₹ 11,965.66 करोड़), एवं यूपीपीसीएल को विद्युत कर के लिए भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष राजस्व प्रतिपूरक अनुदान (₹ 1,050 करोड़)
83	समाज कल्याण (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना)	1,251.23	6.21	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अनुदान (₹ 1,009.52 करोड़)
11	कृषि	2,578.92	12.80	कृषि उत्पादन में सुधार के लिये किसानों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुदान (₹ 1,500 करोड़) एवं राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (₹ 600 करोड़)।

स्रोत : वित्त लेखे 2021-22

### 2.7.6 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2017-22 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.15 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.15: वर्ष 2017-22 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(क) पंचायती राज संस्थायें (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	10,096.44	16,209.80	12,517.71	10,412.00	7,635.03
(ख) शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगर पालिकाएं)	1,208.46	3,081.35	9,059.97	15,115.15	13,610.89
योग (क+ख)	11,304.90	19,291.15	21,577.68	25,527.15	21,245.92
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	133.41	7,053.03	8,940.17	7,018.39	7,391.59
(घ) स्वायत्त निकाय (विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य)	5,405.83	6,436.96	37,393.78	35,251.87	44,342.71
(च) गैर-सरकारी संगठन	26,038.26	181.61	7,140.75	7,040.51	7,924.10
(छ) विविध	49,338.56	58,801.38	18,282.08	24,050.46	19,941.12
योग (ग+घ+च+छ)	80,916.06	72,472.98	71,756.78	73,361.23	79,599.52

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
महायोग (क+ख+ग+घ+च+छ)	92,220.96	91,764.13	93,334.46	98,888.38	1,00,845.44
राजस्व व्यय	2,66,224	3,01,728	2,98,833	2,98,543	3,37,581
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	34.64	30.41	31.23	33.12	29.87

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1,00,845.44 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 1.98 प्रतिशत (₹ 1,957.06 करोड़) अधिक थी। वर्ष 2017-18 के तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें ₹ 8,624.48 करोड़ (9.35 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2017-18 में 34.64 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 29.87 प्रतिशत हो गयी।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2018-19 में ₹ 16,209.80 करोड़ से घटकर वर्ष 2021-22 में ₹ 7,635.03 करोड़ हो गयी। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये (₹ 7,208 करोड़) पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 427.03 करोड़) का हस्तांतरण था। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को जारी सहायता अनुदान ₹ 2,544 करोड़ और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 233 करोड़ कम हो गया।

नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2017-18 में ₹ 1,208.46 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 13,610.89 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2021-22 के दौरान, इसमें वर्ष 2020-21 की तुलना में जारी सहायता अनुदान ₹ 1,504.26 करोड़ (9.95 प्रतिशत) की कमी हुई। यह कमी मुख्य रूप से वित्त आयोग अनुदान (₹ 2,576.75 करोड़) के अन्तर्गत थी। नगरीय स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सहायता में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए ₹ 10,051.24 करोड़ सम्मिलित थे।

### 2.7.7 स्थानीय निकाय को राज्य वित्त आयोग अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 243 आई (अनुच्छेद 243 वाई के साथ पठित) राज्य सरकार के लिये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों (यू0एल0बी0) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग (एस0एफ0सी0) का गठन करना अनिवार्य है और अन्य बातों के साथ राज्य द्वारा लगाये जाने वाले करों, शुल्कों, टोल्स एवं फीस की निवल आय को राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण की अनुशंसा करता है।

राज्य सरकार ने क्रमशः दिसम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 में चौथा एवं पांचवां एसएफसी गठित किया था और इनकी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 और अक्टूबर 2018 में राज्यपाल को प्रस्तुत की गयी एवं उनकी अनुशंसा क्रमशः अप्रैल 2015 और अप्रैल 2020 में लागू की गयी थी। स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य सरकार को राज्य के स्वयं के कर राजस्व के निवल आय का 12.5 प्रतिशत भाग देना था और इसे नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य 60:40 के अनुपात में वितरित किया जाना था। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: 2017-22 के दौरान पीआरआई एवं यूएलबी को निधि का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौथा एसएफसी हस्तांतरण			पांचवा एसएफसी हस्तांतरण	
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
यूएलबी	6,939.92	7,312.50	8,700.00	8,525.00	9,900.00
पीआरआई	4,631.25	4,875.00	5,800.00	5,683.37	6,600.00
योग	11,571.17	12,187.50	14,500.00	14,208.37	16,500.00


स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय निदेशालय एवं पंचायती राज निदेशालय

वर्ष 2020-21 को छोड़कर, 2017-18 से 2021-22 के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान के हस्तांतरण में लगातार वृद्धि हुई। 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान स्थानीय निकायों के हस्तांतरण में 16.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### 2.7.8 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसे अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार के लिए अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल की आवश्यकता है। वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय और कुल व्यय से इसके प्रतिशत को चार्ट 2.11 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.11: 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11 से स्पष्ट है कि 2017-22 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 12.74 प्रतिशत और 17.37 प्रतिशत के बीच विस्तारित रहा। कुछ मुख्य शीर्ष, जहां वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय बहुत अधिक था, तालिका 2.17 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.17: वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नामकरण	प्रमुख गतिविधि / योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	5054-सड़को एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 2,689 करोड़), बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना (₹ 1,548 करोड़), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (₹ 1,127 करोड़), राज्य राजमार्ग पर निर्माण कार्य (₹ 1,153 करोड़), प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (₹ 2,369 करोड़), त्वरित आर्थिक विकास योजना (₹ 1,178 करोड़) एवं ग्रामीण सड़कों का निर्माण (₹ 2,618 करोड़)	22,749
2	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए राज्य की अंश पूँजी (₹ 2,508 करोड़), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना के लिए अतिरिक्त अवसंरचना (₹ 1,261 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश (₹ 2,035 करोड़)	10,875
3	4408-खाद्य भंडारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	क्रय एवं आपूर्ति के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना (₹ 7,314 करोड़)	7,482
4	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	ग्रामीण आवास- विशेष घटक योजना अनुसूचित जातियों के लिये (₹ 4,764 करोड़) एवं पीएम आवास योजना-ग्रामीण (₹ 2,189 करोड़)	7,277
5	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	जलापूर्ति योजना- विशेष घटक योजना अनुसूचित जातियों के लिये (₹ 1,505 करोड़) एवं ग्रामीण जलापूर्ति-जल जीवन मिशन (₹ 2,381 करोड़)	3,966
6	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	विधायिका के सदस्यों की अनुशंसा पर विकास संबंधित कार्य (₹ 1,490 करोड़) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना (₹ 2,178 करोड़)	3,752
7	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान (₹ 2,541 करोड़)	3,144

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

वर्ष 2021-22 के दौरान, पूंजीगत व्यय वर्ष 2020-21 में ₹ 52,237 करोड़ के पूंजीगत व्यय के सापेक्ष ₹ 71,443 करोड़ था। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 19,206 करोड़ (36.77 प्रतिशत) की वृद्धि सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 834 करोड़ (54.76 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस, एवं लोक निर्माण, सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 6,183 करोड़ (49.92 प्रतिशत) मुख्यतः चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं स्वच्छता और आवास एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 12,189 करोड़ (31.80 प्रतिशत) मुख्यतः खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह और सड़क एवं सेतु के कारण थी।

**2.7.8.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन**

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

तालिका 2.18 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन  
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4408-खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय	(-) 2,539.95	7,481.74	394.56
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	252.36	634.02	151.24
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	903.29	1599.85	77.11
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4,359.78	7,276.62	66.90
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	528.26	105.02	(-)80.12
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	267.71	104.04	(-)61.14
4711-बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय	1446.17	763.89	(-)47.18

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

**मुख्य शीर्ष 4408 (खाद्य भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूंजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्य रूप से खाद्यान्न आपूर्ति परियोजना के तहत खाद्यान्न की अधिक खरीद (₹ 7,314.14 करोड़) के कारण हुई थी।

**मुख्य शीर्ष 4250 (अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्य रूप से रोजगार के लिए त्वरित वित्तीय विकास योजना पर ₹ 87.59 करोड़, वाराणसी में गंगा नदी से विश्वनाथ मंदिर तक सड़क के विस्तार/सौंदर्यीकरण पर ₹ 275.52 करोड़ और ₹ 52.27 करोड़, श्री राम जन्म भूमि मंदिर, अयोध्या धाम तक पहुंच पथ के निर्माण पर व्यय के कारण थी।

**मुख्य शीर्ष 4055 (पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्य रूप से पुलिस विभाग के गैर-आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 1,093.79 करोड़ और अग्निशमन केन्द्रों के गैर-आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण पर ₹ 234.33 करोड़ के व्यय के कारण थी।

**मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूंजीगत परिव्यय):** वृद्धि मुख्य रूप से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास सेक्टर में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पर व्यय (₹ 2,277.23 करोड़ से) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (₹ 591.98 करोड़ से) में वृद्धि के कारण थी।

**मुख्य शीर्ष 5053 (नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय):** व्यय में कमी मुख्यतः गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा (₹ 1,131.04 करोड़), अयोध्या में हवाई अड्डा (₹ 468.86 करोड़) की स्थापना पर कम व्यय के कारण थी।

**मुख्य शीर्ष 4401 (फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय):** अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना और आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं पर ₹ 161.54 करोड़ कम व्यय की गयी थी।

**मुख्य शीर्ष 4711 (बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय):** कमी मुख्य रूप से तटबंध के निर्माण पर ₹ 313.74 करोड़, नदियों में कटाव-रोधी योजनाओं पर ₹ 313.01 करोड़ और बाढ़ के कारण अप्रत्याशित आपात स्थिति के कारण बाढ़ नियंत्रण के कार्य पर ₹ 51.88 करोड़ की कमी के कारण थी।



### 2.7.8.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

#### पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूंजीगत व्यय, किया गया निवेश और दिया गया ऋण धारणीय नहीं है और पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। पीएसयू में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे यथा अक्रियाशील पीएसयू में निवेश, वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने में बकाया, पीएसयू को बजटीय सहायता, निवल मूल्य का क्षरण आदि पर प्रतिवेदन के अध्याय V में विभिन्न प्रस्तारों के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा की गई है।

#### अपूर्ण परियोजनाओं पर पूंजी का अवरोधन

वित्त लेखे का परिशिष्ट IX अपूर्ण कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है।

वित्त लेखे 2021-22 के परिशिष्ट IX के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक 255 पूंजीगत परियोजनाएं अपूर्ण थीं, जिन पर ₹ 2,587.98 करोड़ की राशि व्यय की गई थी एवं ₹ 1,467.77 करोड़ के भुगतान लम्बित थे। 255 परियोजनाओं में से 31 मार्च 2022 तक पूर्ण किए जाने वाले अपूर्ण कार्यों एवं 31 मार्च 2022 तक उसमें अवरुद्ध पूंजी की विभागवार स्थिति तालिका 2.19 में दी गई है।

तालिका 2.19 : 31 मार्च 2022 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	61	1,296.43	889.38
सिंचाई	17	880.34	797.28
योग	78	2,176.77	1,686.66

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

इन अधूरी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, 78 परियोजनाओं, हालांकि जो 31 मार्च 2022 तक पूर्ण होने वाले थे, पर व्यय धनराशि ₹ 1,686.66 करोड़, का राज्य के लोगों को सुविधाओं और राज्य के आर्थिक विकास में सहायता के रूप में भी कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।

### 2.7.8.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सरकार या सांविधिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य अवसंरचना के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु उनके साथ मिलकर कार्य करने में सक्षम बनाने वाले ढांचे को प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था है।



प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड (पिकप), एक शासकीय वित्तीय संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (फरवरी 2023) के अनुसार पीपीपी मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र/विभागवार विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है और तालिका 2.20 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.20 : 2021–22 तक के पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार/विभागवार विवरण  
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र/विभाग	पूर्ण/चालू	
		संख्या	अनुमानित लागत
1.	ऊर्जा	18	68,910.03
2.	नागरिक उद्भयन	1	29,561.00
3.	औद्योगिक विकास	1	13,782.00
4.	परिवहन	2	3,869.00
5.	चिकित्सा और स्वास्थ्य	10	2,541.28
6.	लोक निर्माण	3	2,319.84
7.	सूचना प्रौद्योगिकी	1	1,500.00
8.	नगरीय विकास	22	367.55
9.	आवास और नगरीय नियोजन	1	360.00
10.	पर्यटन	2	123.36
	योग	61	1,23,334.06

स्रोत: पिकप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

### 2.7.9 व्यय प्राथमिकताएं

निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी बतायी जाती है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। राज्य की व्यय प्राथमिकता को तालिका 2.21 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.21: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता  
(प्रतिशत में)

विवरण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/टीई	शिक्षा/टीई	सीई/टीई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत <sup>15</sup> (2017-18)	5.09	15.17	15.56
उत्तर प्रदेश	5.51	15.21	13.23
सामान्य श्रेणी के राज्यों का अखिल भारतीय औसत (2021-22)	6.20	14.66	14.41
उत्तर प्रदेश	5.68	14.42	17.76

(टीई-कुल व्यय, सीई-पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम का संवितरण)

तालिका 2.21 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2021–22 में राज्य के कुल व्यय के साथ-साथ शिक्षा पर कुल व्यय का प्रतिशत कम हुआ, वर्ष 2021–22 के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से कम था। कुल व्यय के सापेक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय, ऋण एवं अग्रिम पर पूंजीगत व्यय एवं वितरण वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2021–22 में व्यय के प्रतिशत में


<sup>15</sup> उत्तर पूर्व (एनई) तथा हिमालयन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य।

सुधार हुआ। अग्रेतर, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम का वितरण पर व्यय का प्रतिशत सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से अधिक था। जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के अखिल भारतीय औसत से कम था।

### 2.7.10 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन और मजदूरी, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, व्यावसायिक सेवाएं, सहायक अनुदान, आदि को दर्शाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान मानक मदवार व्यय को चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12 : वर्ष 2021-22 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के लिये सहायता अनुदान के अन्तर्गत व्यय कुल व्यय (₹ 4,39,963.23 करोड़) का 32.41 प्रतिशत है। इसके अलावा, सहायता अनुदान (गैर-वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी समेकित निधि व्यय के क्रमशः 8.47 प्रतिशत, 9.90 प्रतिशत और 4.58 प्रतिशत है। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों जो कि पूंजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय संचित निधि के व्यय के क्रमशः 9.63 प्रतिशत और 9.40 प्रतिशत हैं।

### 2.8 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं वे राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

### 2.8.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण-21 में दर्शायी गई है तथा 2017-22 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण तालिका 2.22 में दिया गया है।

तालिका 2.22 : 2017-22 के दौरान घटक-वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

		(₹ करोड़ में)				
क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	2,530	3,646	3,314	1,062	525
आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	0	0	1757	(-252)	2693
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ *	8,265	13,545	(-70,056)	753	1200
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	220	184	883	607	(-717)
	(ब) ब्याज रहित जमा	1,189	2,000	(-2,990)	1,308	(-741)
	(स) अग्रिम	4	12	17	(-0.15)	(-0.12)
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	(-1,436)	(-236)	(-1,743)	1,859	1,444
	(ब) अन्य लेखे**	(-778)	459	(-85)	(-162)	17
	(स) वाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	(-3,910)	329	308	(-323)	25
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	4	(-16)	5	(-2)	(-4)
<b>योग</b>		<b>6,088</b>	<b>19,923</b>	<b>(-68,590)</b>	<b>4,850*</b>	<b>4,442*</b>

टिप्पणी: धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियाँ संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

\* रक्षित निधि में निवेश जो कि प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ अवशेष का भाग है, को छोड़कर।

\*\* मुख्य शीर्ष 8671-विभागीय अवशेष, 8672-स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673-रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरम्भिक एवं अंतिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन-देन को छोड़कर।

### 2.8.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों को राज्य की संचित निधि के साथ-साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरणी 21 और 22 में उपलब्ध है, जो परिशिष्ट 2.4 में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2022 को, आरक्षित निधियों के साथ कुल संचयी अवशेष ₹ 8,920.20 करोड़ थी। इनमें से ब्याज सहित आरक्षित निधि<sup>16</sup> के अन्तर्गत ₹ 4,198.45 करोड़ था एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 4,721.75 करोड़ था। अग्रतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 3,045.20 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

<sup>16</sup> एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

### 2.8.2.1 समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू हुआ था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अंत में लम्बित देनदारियों, अर्थात् आंतरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ-साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबंधन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के ऐसे परिपक्वता राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय-समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

समेकित निक्षेप निधि में 1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 1,000.00 करोड़ था, जिसे शीर्ष 8222-01-101-निक्षेप निधि के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य के संचित निधि के अन्तर्गत विनियोग की कमी या ऋण के परिहार के लिये शीर्ष 2048-00-101 से ₹ 2,000.00 करोड़ निधि में स्थानान्तरित किया। अग्रेतर, वर्ष 2021-22 के दौरान निधि से कोई संवितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2022 को, समेकित निक्षेप निधि में (उपार्जित ब्याज ₹ 79.49 करोड़ को छोड़कर) शेष राशि ₹ 3,000.00 करोड़ थी।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 2,734.32 करोड़ (वर्ष 2020-21 के अंत में ₹ 5,46,864.94 करोड़ की आंतरिक ऋण और लोक लेखे की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 734.32 करोड़ (₹ 2,734.32 करोड़ - ₹ 2,000.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2021-22 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका। वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निक्षेप निधि के कम अंतरण के कारण ₹ 734.32 करोड़ राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

### 2.8.2.2 मूल्यहास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यहास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख-रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226-102 के अन्तर्गत किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, निधि में (-)₹ 17.20 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और ₹ 20.00 करोड़ की राशि शीर्ष 3054-80-797 से स्थानान्तरित की गई थी और इसमें से ₹ 8.91 करोड़ का संवितरण किया गया, जिसे शीर्ष 5054-80-800 में स्थानान्तरित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 को डीआरएफ का अंतिम अवशेष (-)₹ 6.11 करोड़ था। निधि के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष उपलब्ध अवशेष धनराशि से अधिक संवितरण को इंगित करता है। यह ऋणात्मक अवशेष धनराशि 2015-16 के आगे के लेखों में प्रदर्शित हो रही है। ऋणात्मक अवशेष को संचित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.50 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054-800-04 में जमा की जायेगी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग डीआरएफ नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत, यह

धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अंतरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सम्बन्ध में लेखाशीर्ष 1054-800-04 के अन्तर्गत गैर-कर राजस्व के रूप में ₹ 68.84 करोड़ हस्तान्तरित किया, जिसके सापेक्ष डीआरएफ के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8226-102 में केवल ₹ 20.00 करोड़ हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.8.2.2 में इस प्रकरण पर प्रकाश डाला गया था परन्तु डीआरएफ के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि को पूर्ण रूप से निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया था। प्रकरण विभाग को पुनः प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2022); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2022)।

### 2.8.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (जनवरी 2022) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।
- प्रत्येक राज्य के लिए एसडीआरएफ में वार्षिक योगदान की धनराशि वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगी। एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
- राज्य सरकार एसडीआरएफ को आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने 8121-122-एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का रख-रखाव किया था। इससे पहले, एसडीआरएफ को 8235-111-एसडीआरएफ के अन्तर्गत ब्याज रहित आरक्षित निधि के रूप में रखा जा रहा था। इस प्रकार, शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का प्रारम्भिक अवशेष शून्य था, तथापि 1 अप्रैल 2021 को शीर्ष 8235-111-एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ के आरंभिक अवशेष धनराशि (₹ 1,231.01 करोड़) को 2021-22 के दौरान शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 के लिये ₹ 2,578 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें से निधि में ₹ 2062.40 करोड़ (अर्थात् कुल आवंटन का 80 प्रतिशत) एसडीआरएफ के लिये था, जिसमें भारत सरकार (₹ 1,546.40

करोड़) और राज्य सरकार (₹ 516.00 करोड़) का अंशदान सम्मिलित था। जिसके सापेक्ष राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 1546.40 करोड़ प्राप्त हुए एवं एसडीआरएफ को ₹ 2062.40 करोड़ (राज्य के अंश को लेकर) स्थानान्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने भी विगत वर्ष के अवशेष धनराशि ₹ 1288.33 करोड़ को एसडीआरएफ को हस्तांतरित किया (भारत सरकार का अंश ₹ 966.50 करोड़ एवं राज्य सरकार का अंश ₹ 321.83 करोड़)। इस प्रकार, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ को ₹ 3,350.73 करोड़ का अंशदान हस्तांतरित किया।

2021-22 के दौरान, एसडीआरएफ में 8235-111-एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 4,665.25 करोड़ प्राप्त हुए जिसमें शीर्ष 8235-111-एसडीआरएफ से प्रारम्भिक शेष राशि ₹ 1,231.01 करोड़ हस्तांतरित किये गये, भारत सरकार/राज्य सरकार के योगदान ₹ 3,350.73 करोड़, एनडीआरएफ से ₹ 1.52 करोड़ और विविध प्राप्तियों के लिए ₹ 81.99 करोड़ सम्मिलित किए गए। अग्रेतर, प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 1,659.66 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित (मुख्य शीर्ष 2245-05-901) किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 के अंत में एसडीआरएफ का अंतिम अवशेष धनराशि ₹ 3,005.59 करोड़ थी। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर ₹ 74.99 करोड़ (वर्ष 2021-22 में लागू ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की छमाही आधार पर औसत दर की गणना की गयी) का ब्याज जमा नहीं किया गया था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने निधि में अभिवृद्धि का निवेश एसडीआरएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान एसडीआरएफ में ब्याज (₹ 74.99 करोड़) जमा नहीं करने के कारण राज्य के राजस्व अधिशेष से अधिक तथा राजकोषीय घाटा ₹ 74.99 करोड़ से कम बताया गया।

#### 2.8.2.4 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा (नवम्बर 2004) की थी कि राज्यों को प्रत्याभूति पर राज्य के दायित्वों के आकस्मिक उन्मोचन के लिये निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क के माध्यम से प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया जाना चाहिये। आगे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के माध्यम से प्रत्याभूति की अधिकतम सीमा के लिये अनुशंसा की गयी थी। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने प्रत्याभूति देने की कोई सीमा तय नहीं की।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2021-22 के अंत में 28 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,74,218.42 करोड़ थी। इसमें वर्ष 2021-22 में ₹ 20,382.68 करोड़ की प्रत्याभूति की निवल वृद्धि सम्मिलित थी, जो कि जीएसडीपी का 1.09 प्रतिशत था। वर्ष 2021-22 के दौरान कोई प्रत्याभूति शुल्क प्राप्त नहीं हुई थी।

#### 2.8.2.5 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया)

नियम, 2018 में प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों<sup>17</sup> से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336—सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष—103 पर ब्याज सहित अनुभाग के अन्तर्गत 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129—एससीएएफ में अंतरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3(4) के अनुसार वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

01 अप्रैल 2021 तक, एससीएएफ के पास ₹ 1,505.25 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। वर्ष 2021—22 के दौरान, राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से एससीएएफ के लिये ₹ 36.46 करोड़ प्राप्त हुए। प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई प्राप्ति नहीं हुई थी। वर्ष 2021—22 के दौरान निधि से ₹ 358.95 करोड़ व्यय किया गया और एससीएएफ में ₹ 1182.76 करोड़ अवशेष बचा था।

शीर्ष 8336—सिविल जमा और एससीएएफ शीर्ष 8121—सामान्य और अन्य रक्षित निधि के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा घोषित वर्ष—दर—वर्ष के आधार पर लागू दर के अनुसार किया जाना है। वर्ष 2021—22 के दौरान राज्य सरकार को 3.35 प्रतिशत प्रतिवर्ष<sup>18</sup> की दर से ब्याज देना था। तथापि, राज्य सरकार ने एससीएएफ पर देय ब्याज के रूप में ₹ 50.43 करोड़ का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार वर्ष 2021—22 के दौरान राजस्व अधिशेष से अधिक और राजकोषीय घाटे को ₹ 50.43 करोड़ से कम बताया गया।

## 2.9 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

### 2.9.1 ऋण रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थापाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से होता है। कुल लम्बित लोक ऋण की व्यापक परिभाषा में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकायों द्वारा अतिरिक्त बजट ऋण भी सम्मिलित है, जहां मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट से पूरित किया जाना है।

वित्त लेखे का विवरण 6, राज्य सरकार की बकाया देनदारियों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट देनदारियों को प्रकट नहीं किया था, जैसा कि वित्त लेखे में प्रकट किया गया था, ऐसी देनदारियों का विवरण भी राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया था। तालिका 2.23 में 2017—18 से 2021—22 के दौरान घटकवार ऋण प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

<sup>17</sup> 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कंपनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर-वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वन भूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

<sup>18</sup> जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।



तालिका 2.23 : अवधि 2017-22 में घटक वार ऋण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(अ) वित्त लेखे के अनुसार बकाया कुल ऋण	4,67,842	5,18,095	5,02,412	5,64,972*	6,12,956*
लोक ऋण					
आंतरिक ऋण	3,21,479	3,53,190	4,05,049	4,58,552	4,96,423
भारत सरकार से ऋण	12,812	11,980	11,529	18,107*	27,261*
लोक लेखा दायित्व	1,33,551	1,52,925	85,834 <sup>19</sup>	88,313	89,272
अवशेष कुल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.54	10.74	(-3.03)	12.45	8.49
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	32.49	32.75	29.55	34.27*	32.90*
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	90,052	1,13,504	1,12,696	1,23,555	1,21,852
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	74,570	95,293	1,63,192	98,424	1,16,743
उपलब्ध निवल निधियाँ	15,482	18,211	(-50,496)	25,131	5,109
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	17.19	16.04	(- 44.81)	20.34	4.19
(ब) पीएसयू/प्राधिकरणों के माध्यम से अतिरिक्त ऋण (जैसा लेखापरीक्षा में देखा गया)	8,482	234	0	20,940	0

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे और पीएसयू/प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना

\* भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की वृद्धि में, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 क्रमशः ₹ 6,007 करोड़ और ₹ 8,140 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण सम्मिलित है, जिस पर राज्य का कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं होने के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष है। इस ऋण का ऋण शोधन जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में प्राप्त उपकर से किया जाना था तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान दायित्व की पूर्ति राज्य के अन्य स्रोतों से नहीं की जायेगी। भारत सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यह ऋणग्रस्तता वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदण्ड के लिये राज्य के ऋण के रूप में नहीं मानी जायेगी। इस बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर, वर्ष 2020-21 के अन्त में राज्य का प्रभावी सकल ऋण ₹ 5,58,965 करोड़ और वर्ष 2021-22 में ₹ 5,98,809 करोड़ था। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात क्रमशः 33.91 और 32.14 प्रतिशत था।

जैसा कि तालिका 2.23 में दर्शाया गया है, अवधि 2017-22 के दौरान राज्य सरकार के समग्र ऋण के अन्तर्गत आंतरिक ऋण वर्ष 2017-18 में ₹ 3,21,479 करोड़ से 54.42 प्रतिशत की वृद्धि होने से वर्ष 2021-22 में ₹ 4,96,423 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान आन्तरिक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 39,286 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी, जैसा कि प्रस्तर 2.9.2 में विस्तार से दर्शाया गया है। 31 मार्च 2022 तक, आन्तरिक ऋण (₹ 4,96,423 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 4,01,356 करोड़), वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 54,575 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 40,370 करोड़) और अन्य ऋण (₹ 122 करोड़) सम्मिलित है। इस प्रकार खुला बाजार ऋण राज्य सरकार की कुल वित्तीय देनदारियों (₹ 6,12,956 करोड़) का 65.48 प्रतिशत है।

<sup>19</sup> 2019-20 में कमी मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180,23 करोड़ के लम्बित पुस्तकीय अवशेष को करेतर राजस्व में अंतरण के कारण थी।




अवधि 2017–20 के दौरान केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, और वर्ष 2020–22 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 14,147 करोड़ बैंक टू बैंक ऋण के कारण हुई। जिस पर राज्य को पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं है। परिणामस्वरूप, राज्य का सकल ऋण वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में 8.49 प्रतिशत बढ़ गया।

लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत, वर्ष 2017–18 (17.19 प्रतिशत) से वर्ष 2021–22 (4.19 प्रतिशत) तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत निवल निधि, वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य रूप से निक्षेप निधि के अवशेष धनराशि के बिना वास्तविक प्राप्त के निक्षेप निधि अवशेष को राजस्व प्राप्तियों में पुस्तकीय अंतरण के कारण ऋणात्मक अर्थात् (-) ₹ 50,496 करोड़ हो गयी। अग्रेतर, जैसा कि पैराग्राफ 4.2 में चर्चा की गयी है, राज्य सरकार ने भी अतिरिक्त बजट उधारी का सहारा लिया था और इस लेखे में 31 मार्च 2022 तक अवशेष देयता ₹ 19,496 करोड़ थी।

**चार्ट 2.13** वर्ष 2021–22 के अन्त में वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार के बकाया सकल ऋण की स्थिति को दर्शाता है।


चार्ट 2.13 : वर्ष 2021–22 के अन्त में बकाया सकल ऋण का ब्यौरा



स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2017–22 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को चार्ट 2.14 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.14: 2017-22 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.14 से स्पष्ट है कि अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 69 प्रतिशत से 95 प्रतिशत का उपयोग पिछले लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 5 प्रतिशत से 31 प्रतिशत ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2018-19 में न्यूनतम और वर्ष 2020-21 में अधिकतम थी। वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 89 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 11 प्रतिशत धनराशि ही पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

### 2.9.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड—राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष—एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्यौरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया जाता है और संसाधनों को लागू किया जाता है, यह इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खंड प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और इन घाटों के वित्तपोषण के तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति तालिका 2.24 में दी गई है।

तालिका 2.24 : राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+) का संघटन		(-)27,810	(-)35,203	11,083	(-)54,622	(-)39,286
1	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+)12,552	(+)28,250	(+)67,560	(-)2,367	(+)33,430
2	निवल पूंजीगत व्यय <sup>20</sup>	(-)39,088	(-)62,463	(-)59,998	(-)52,237	(-)71,443
3	निवल ऋण एवं अग्रिम <sup>21</sup>	(-)1,274	(-)990	(+)3,521	(-)18	(-)1,273
<b>राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)</b>						
1	बाजार ऋण	37,178.00	33,306.67	55,825.80	63,499.68	46,670.00
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 437.81	(-) 832.22	(-) 450.84	6,577.99	9,154.59
3	एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 4,643.05	(-) 4,871.64	(-) 5,122.07	(-) 5,122.07	(-)5,122.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	317.32	3,275.84	1,155.20	(-) 4,874.22	(-)3,677.27
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	2,530.12	3,645.59	3,313.67	1,062.40	525.12
6	जमा एवं अग्रिम	1,413.38	2,196.34	(-) 2,089.80	1,914.78	(-)1,458.73
7	उचन्त एव विविध	(-) 2,214.62	222.67	(-) 1,828.11	1,697.48	1,461.10
8	प्रेषण	(-) 3,906.31	312.67	313.50	(-)325.46	21.06
9	आरक्षित निधि	8,264.72	13,544.71	(-) 68,298.52	500.94	3,893.01
10	आकस्मिकता निधि	(-) 154.96	(-) 166.65	629.73	(-) 100.00	700.00
11	<b>सकल घाटा</b>	<b>38,346.79</b>	<b>50,633.98</b>	<b>(-) 16,551.44</b>	<b>64,831.52</b>	<b>52,166.81</b>
12	<b>नगद अवशेष में वृद्धि (-)/कमी (+)</b>	<b>(-) 10,537.00</b>	<b>(-) 15,431.00</b>	<b>5,468.75</b>	<b>(-)10,209.41</b>	<b>(-)12,880.39</b>
13	<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>27,809.79</b>	<b>35,202.98</b>	<b>(-) 11,082.69</b>	<b>54,622.11</b>	<b>39,286.42</b>

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अवधि 2017–22 के दौरान, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) एवं राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अंतरण के कारण था। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य ने ₹ 39,286 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित था। तथापि, जैसा कि प्रस्तर 1.4.1 में वर्णित है, वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त अवशेष रहने के कारण राज्य को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में प्राप्त ₹ 8,140 करोड़ के ऋण को संदर्भ में रखते हुए देखना चाहिए।

<sup>20</sup> निवल पूंजीगत व्यय = विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

<sup>21</sup> निवल ऋण और अग्रिम = ऋण और अग्रिम की वसूली (-) ऋण और अग्रिम का संवितरण; माइनस आंकड़ा यह दर्शाता है कि ऋणों और अग्रिमों का संवितरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था। वर्ष 2021–22 में, इसमें संचित निधि से आकस्मिकता निधि में ₹ 600 करोड़ का हस्तांतरण भी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत बजटित किया गया था।

### 2.9.3 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण के सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2022 को ₹ 6,12,956 करोड़ के बकाया समग्र ऋण/सकल शेष वित्तीय दायित्वों में से, ₹ 89,272 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों से सम्बन्धित हैं। लोक ऋण (₹ 5,23,684 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.25 एवं चार्ट 2.15 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.25 : राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	प्रतिशत
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2022-23	20,869.41	1,741.77	22,611.18	4.32
2023-24	19,485.70	1,767.36	21,253.06	4.06
2024-25	29,007.44	704.64	29,712.08	5.67
2025-26	40,260.05	589.32	40,849.37	7.80
2026-27	49,955.51	600.59	50,556.10	9.65
2027-28	50,051.27	598.25	50,649.52	9.67
2028-29	53,850.84	579.05	54,429.89	10.39
2029-30	75,897.86	556.52	76,454.38	14.60
2030-31	81,335.73	494.63	81,830.36	15.63
2031-32 से आगे	73,591.48	3,256.02	76,847.50	14.67
राज्य सरकार से समाधान के अन्तर्गत	2,117.60	16373.18*	18,490.77	3.53
<b>योग</b>	<b>4,96,422.89</b>	<b>27,261.33**</b>	<b>5,23,684.22</b>	<b>100</b>


स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

टिप्पणी: बकाया ऋण स्टॉक पर देय ब्याज को तालिका 2.24 में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसे प्रदान नहीं किया है।

\* इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹10.19 करोड़, ₹16,605.94 करोड़ जिसके लिये भारत सरकार से ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें प्रतीक्षित थीं और भारत सरकार द्वारा पुनर्भुगतान किये गये बैंक-टू-बैंक ऋण ₹254.32 करोड़ सम्मिलित हैं, जिसके लिये ऋण-वार विवरण की प्रतीक्षा की जा रही थी।

\*\* इसमें जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹14,146.94 करोड़ सम्मिलित हैं। इस ऋण के पुनर्भुगतान जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से की जायेगी और इसलिये, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जायेगा।

चार्ट 2.15 : ऋण परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2022–23, 2023–25, 2025–27 और 2027–29 की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 22,611.18 करोड़ (4.32 प्रतिशत), ₹ 50,965.14 करोड़ (9.73 प्रतिशत), ₹ 91,405.47 करोड़ (17.45 प्रतिशत) और ₹ 1,05,079.41 (20.07 प्रतिशत) होगी। अग्रेतर, कुल लोक ऋण के ₹ 2,35,132.24 करोड़ (44.90 प्रतिशत) का सात वर्षों के बाद भुगतान किया जायेगा।

#### 2.9.4 ऋण संवहनीयता

भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूंजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक तालिका 2.26 एवं चार्ट 2.16 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.26 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

ऋण संवहनीयता संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण <sup>22</sup> (₹ करोड़ में)	3,34,291	3,65,170	4,16,578	4,76,659	5,23,684
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.74	9.24	14.08	14.42	9.87
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.73	9.88	7.46	(-)3.04	13.02
लोक ऋण /जीएसडीपी	23.22	23.08	24.50	28.91	28.11
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.99	8.06	7.83	7.48	7.68
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	9.12	8.54	8.36	11.28	10.35
लोक ऋण भुगतान का लोक ऋण प्राप्तियों से प्रतिशत	31.64	40.15	30.35	30.83	37.92
राज्य के लिए उपलब्ध निवल लोक ऋण <sup>23</sup>	7,000	2,694	20,784	26,661	8609
ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष निवल लोक ऋण की उपलब्धता प्रतिशतता में	14.76	5.22	28.16	30.69	11.37
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	1,326	(-) 3,161	45,896	(-) 17,194	3,589
ऋण संवहनीयता (₹ करोड़ में)* (क्वांटम स्प्रेड <sup>24</sup> + प्राथमिक घाटा)	12,51,574	6,61,448	(-)1,08,238	(-)49,91,986	26,68,468

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


<sup>22</sup> बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003-आंतरिक ऋण तथा 6004-केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में अवशेष का योग है।

<sup>23</sup> राज्य सरकार के लिए निवल लोक ऋण उपलब्धता की गणना लोक ऋण की अदायगी तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

<sup>24</sup> क्वांटम स्प्रेड = (ऋण स्टॉक x इंटररेस्ट स्प्रेड) एवं इंटररेस्ट स्प्रेड = (जीएसडीपी वृद्धि दर-औसत ब्याज दर)।

\* भारत सरकार से वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 6,007 करोड़ और 2021-22 के दौरान ₹ 8,140 करोड़ राज्य की पुनर्भुगतान देयता से रहित जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के लिए प्राप्ति के बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर लोक ऋण संवहनीयता की गणना की गयी है। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के अन्त में, पिछले वर्ष की तुलना में 12.98 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रभावी लोक ऋण ₹ 4,70,652 करोड़ था, लोक ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 28.55 प्रतिशत था एवं लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.53 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, 2021-22 के दौरान, विगत वर्ष की तुलना में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ प्रभावी लोक ऋण ₹ 5,09,537 करोड़ था, जीएसडीपी के लिये लोक ऋण 27.35 था और लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.79 थी।

चार्ट 2.16 : ऋण संवहनीयता संकेतांक



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.26 तथा चार्ट 2.16 का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता है:

- राज्य का कुल बकाया लोक ऋण वर्ष 2017-18 के ₹ 3,34,291 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 5,23,684 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 9.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, 2020-21 और 2021-22 के अन्त में बकाया लोक ऋण ₹ 6,007 करोड़ और ₹ 14,147 करोड़ सम्मिलित है, जो राज्य के लिये कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त हुए है। इस बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, राज्य की लोक ऋण वृद्धि दर 2020-21 के दौरान लोक ऋण की वृद्धि दर 12.98 प्रतिशत और 2021-22 के दौरान 8.26 प्रतिशत थी, जो लोक ऋण की वृद्धि दर में गिरावट का संकेत है।
- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात अंततः नीचे जायेगा और इसके इतर यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि तालिका 2.26 में आगणित किया गया है, वर्ष 2019-21 में ऋण संवहनीयता ऋणात्मक थी, तथापि जीएसडीपी वृद्धि दर के सापेक्ष लोक ऋण पर उच्च औसत ब्याज दर के कारण यह वर्ष 2021-22 के दौरान धनात्मक थी।
- ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आकलन करता है। राजस्व प्राप्ति के लिये लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2020-21 के दौरान 11.28 प्रतिशत से घटकर 2021-22 के दौरान 10.35 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-22 के दौरान लोक ऋण के ब्याज और पुनर्भुगतान के

प्रावधान के बाद वर्तमान परिचालनों के लिये उधार से उपलब्ध निवल निधि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी और यह वर्ष 2021-22 के दौरान लिये गये कुल लोक ऋण का केवल 11.37 प्रतिशत था।

- वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान औसत ऋण सर्विसिंग व्यय ₹ 53,937 करोड़ था, जो इसी अवधि में औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 67,086 करोड़) का 80.39 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है कि ऋण का एक बड़ा प्रतिशत ऋण भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा था।

#### 2.9.4.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। उधार ली गई धनराशि की स्थिति को तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27 : उधार ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	लोक ऋण प्राप्तियाँ	47,417	51,595	73,809	86,859	75,751
2	पूर्व के ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	15,002 (31.64)	20,717 (40.15)	22,401 (30.35)	26,778 (30.83)	28,726 (37.92)
3	निवल पूंजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	39,088 (82.43)	62,463 (121.06)	59,998 (81.29)	52,237 (60.14)	71,443 (94.31)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	1,274 (2.69)	990 (1.92)	(-3,521) (-4.77)	18 (0.02)	674 (0.89)
5	निवल उपलब्ध उधार से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-7,947) (-16.76)	(-32,575) (-63.14)	(-5,069) (-6.87)	7,826 (9.01)	(-25,092) (33.12)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.27 यह दर्शाती है कि 2017-18 से 2019-20 और 2021-22 की अवधि में उधार (लोक ऋण) पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत किये गये व्यय, अर्थात् लोक ऋण के पुनर्भुगतान, पूंजीगत व्यय एवं ऋण और अग्रिमों के संवितरण से कम था, जिसका तात्पर्य है कि 2017-18 से 2019-20 और 2021-22 की अवधि में पूंजीगत लेखे पर व्यय के एक भाग की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी।

#### 2.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य उधार के लिये प्रत्याभूति प्रदान करती है। प्रत्याभूतियाँ, उधारकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में दी गयी प्रत्याभूति और बकाया प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि तालिका 2.28 में दी गई है।



तालिका 2.28 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	74,303.03	90,662.48	1,32,499.27	1,75,469.24	2,06,431.78
प्रत्याभूति की बकाया धनराशि	74,841.22	1,10,032.12	1,18,696.49	1,50,554.00	1,74,218.42

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

बकाया प्रत्याभूति वर्ष 2020-21 के ₹ 1,50,554 करोड़ से 15.72 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 1,74,218.42 करोड़ हो गयी और यह वर्ष के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 3,71,011 करोड़) का 46.96 प्रतिशत और राज्य सरकार की जीएसडीपी का 9.35 प्रतिशत थी। 31 मार्च 2022 को बकाया प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की चार कंपनियों (₹ 1,29,374 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग (₹ 27,950 करोड़), सहकारिता विभाग (₹ 9,313 करोड़) तथा चीनी उद्योग विभाग (₹ 5,040 करोड़) से संबंधित थी। अग्रेतर, वर्ष 2021-22 के दौरान कोई प्रत्याभूति नहीं ली गई थी।

बकाया प्रत्याभूतियों में उ0प्र0 ऊर्जा निगम लिमिटेड के लिए ₹ 93,037 करोड़ की प्रत्याभूति सम्मिलित थी, जो कि संस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निर्धारित प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि (₹ 92,994 करोड़) से अधिक थी। जैसा कि वित्त लेखे 2021-22 में उद्घाटित है, राज्य सरकार ने इस असंगति पर कोई कारण नहीं बताया। अग्रेतर, वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति तथा वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया प्रत्याभूति में ₹ 3,281.74 करोड़ का अंतर था जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश तथा राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में था।

### 2.10 नकद अवशेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को मुख्य शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष में समेकित निक्षेप निधि के सरकारी प्रतिभूतियों का निवेश सम्मिलित है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को तालिका 2.29 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.29 : वर्ष 2021–22 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2022 को अन्तिम अवशेष
<b>अ. सामान्य नकद अवशेष</b>		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	137.10	(-)348.47
पारगमन में प्रेषण	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	30,459.45	41,825.24
<b>योग (अ)</b>	<b>30,596.55</b>	<b>41,476.77</b>
<b>ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश</b>		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.52	10.69
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.50
निर्धारित निधियों में निवेश	1,045.20	3,045.20
<b>योग (ब)</b>	<b>1,056.22</b>	<b>3,056.39</b>
<b>योग (अ+ब)</b>	<b>31,652.77</b>	<b>44,533.16</b>

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 44,533.16 करोड़ थी। वर्ष 2020–21 के अंत में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 12,880.39 करोड़ (40.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2021–22 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारंभिक अवशेष ₹ 30,459.45 करोड़ था। ₹ 6,91,372.52 करोड़ के ट्रेजरी बिल खरीदे गए और ₹ 6,80,006.73 करोड़ की धनराशि के ये इन्स्ट्रूमेंट बेचे गये, जिससे वर्ष के अंत में लेखे में ₹ 41,825.24 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। ट्रेजरी बिलों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 333.07 करोड़ और ₹ 13.92 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 3,52,908 करोड़ से लगातार बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 5,44,061 करोड़ हो गया लेकिन वर्ष 2019–20 के दौरान यह घटकर ₹ 4,93,843 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 में यह घटकर ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया और वर्ष 2021–22 में यह पुनः बढ़कर ₹ 6,91,372.52 करोड़ हो गया। नकद अवशेष निवेश लेखे के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) अवधि 2017–18 से 2018–19 के दौरान ₹ 11,425 करोड़ (31 मार्च 2018) से बढ़कर ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया जो वर्ष 2019–20 (31 मार्च 2020) में घटकर ₹ 21,387 करोड़ हो गया और पुनः वर्ष 2020–21 (31 मार्च 2021) में बढ़कर ₹ 30,597 करोड़ हो गया और वर्ष 2021–22 (31 मार्च 2022) में बढ़कर ₹ 41,477 करोड़ हो गया। अवधि 2017–22 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा तथा उस पर अर्जित ब्याज की स्थिति को तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30 : नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673)


(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष–प्रारंभिक अवशेष)	उपाजित ब्याज
2017-18	2,168.23	11,159.38	8,991.15	486.61
2018-19	11,159.38	26,684.36	15,524.98	1,088.56
2019-20	26,684.36	21,150.71	(-)5,533.65	596.15
2020-21	21,150.71	30,459.45	9,308.74	249.67
2021-22	30,459.45	41,825.24	11,365.79	346.99

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को चार्ट 2.17 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.17: वर्ष 2021-22 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह



स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आंकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.18: अवधि 2017-22 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तेरहवें वित्त आयोग ने अत्यधिक नकदी अवशेष रखने वाली राज्य सरकारों द्वारा नए ऋण का सहारा लेने से पहले अपने मौजूदा नकद अवशेष का उपयोग करने की दिशा में प्रयास की अनुशंसा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया था

कि अधिक नकद अवशेष आधिक्य का संचय राज्य सरकार के ऋण पर ब्याज लागत के भार को बढ़ाता है, यदि यह उधार के संसाधनों<sup>25</sup> से निर्मित है।

### 2.10.1 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2022 को नकद अवशेष धनराशि ₹ 348.47 करोड़ (क्रेडिट) था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित धनराशि ₹ 353.70 करोड़ (डेबिट) था। ₹ 5.23 करोड़ के निवल अन्तर का कारण मुख्य रूप से कोषागारों/एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित आंकड़ों में अन्तर के कारण था। अंतर समाधान की प्रक्रिया में था।

### 2.11 निष्कर्ष

#### सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (₹ 39,286 करोड़) जीएसडीपी का 2.11 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (संशोधन) बिल 2021 द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- वर्ष 2020–21 के सापेक्ष वर्ष 2021–22 में राजस्व प्राप्ति में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य ने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 2,367 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज करने के बाद वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 33,430 करोड़ के राजस्व अधिशेष दर्ज किया था। परिणामस्वरूप, 2021–22 के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद राजकोषीय घाटा वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 54,622 करोड़ से घटकर वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 39,286 करोड़ हो गया। वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 17,194 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 3,589 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में भी परिवर्तित हो गया।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2020–21 के 61.37 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 59.87 प्रतिशत हो गया।
- राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2020–21 के 33.91 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 32.14 प्रतिशत हो गया।
- लोक ऋण पर औसत ब्याज दर की तुलना में उच्च जीएसडीपी वृद्धि दर के कारण वर्ष 2021–22 के दौरान ऋण संवहनीयता में वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों से लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2020–21 के 11.28 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021–22 में 10.35 प्रतिशत हो गया।

#### संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 734.32 करोड़ का कम अंशदान हस्तांतरित किया, जिसका उपयोग राज्य सरकार की लम्बित देनदारियों के मोचन के लिये किया जाना था।
- राज्य सरकार ने मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए प्रभारित राशि को इस निधि में स्थानांतरित नहीं किया बल्कि इसे राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप में रखा गया। उपलब्ध अवशेष धनराशि से अधिक संवितरण के कारण निधि वर्ष 2021–22 के अन्त में ₹ 6.11 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था।

<sup>25</sup> XIVवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.40 एवं 4.41।

- राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अनिवेशित अवशेष पर वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 74.99 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया गया था। एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से निधि की अवशेष धनराशि का निवेश नहीं किया जा रहा था।
- सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया।

### 2.12 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में प्रावधानित है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।
- राज्य सरकार को मूल्यहास आरक्षित निधि के लिए भारत पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए। अग्रतर, राज्य सरकार को मूल्यहास आरक्षित निधि के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष को तत्काल नियमित करना चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।
- राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिये।